न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश प्रथम, आबूरोड, जिला–सिरोही राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – कुलदीप सूत्रकार, R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक ज. प्रक. संख्या – 150/2026

सी.आई.एस. संख्या – 157/2026

1– नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार, निवासी चंद्रावती, पुलिस थाना आबूरोड रीको, जिला सिरोही।

....प्रार्थी/अभियुक्त (न्या.अभिरक्षा में)

बनाम

1– सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, आबूरोड । .....अप्रार्थी/अभियोगी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस

उपस्थितिः–

1– श्री मनीष जैन, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

–: **आदेश :–** **दिनांक : 01.07.2026**

1– प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र कुमार की ओर से नियमित जमानत हेतु यह **प्रथम आवेदन** पत्र धारा 483 बीएनएसएस के तहत पुलिस थाना आबूरोड रीको के सीआर नंबर 179/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 61(1) बीएनएस के मामले में पेश किया गया। नकल प्रति अपर लोक अभियोजक अधिकारी का दिलवाई गई। केस डायरी एवं रिपोर्ट तलब की गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी।

2– दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी निर्दोष है उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादिया के साथ किसी भी प्रकार से कोई अपराध कारित नहीं किया है, ना ही प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित है। प्रार्थी/अभियुक्त और परिवादिया आपस में परिवार के लोग है जिनके मध्य पारिवारिक रंजिश के कारण बदले की भावना से परिवादिया ने कानूनी सलाह के बाद प्रार्थी के विरूद्ध मनगंढत तथ्यों पर यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रार्थी/अभियुक्त परिवादिया के पुत्र की उम्र का है तथा आपसी पारिवारिक रिश्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त युवा व्यक्ति है। उसके घर में उसके माता पिता है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। प्रार्थिया विवाहित महिला है, उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट कारित नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार का अनुसंधान शेष नहीं हैं। प्रकरण कें अनुसंधान में काफी समय लगेगा तब तक प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से वह अपनी प्रतिरक्षा ढंग से नहीं कर पायेगा। प्रार्थी से किसी प्रकार बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप की सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध नहीं है। प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने अथवा उसके भाग जाने अथवा सरकारी गवाहान को बरगलाने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी न्यायालय आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

3– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में परिवादिया के साथ बलात्संग करने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। अतः अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत आवेदन अस्वीकार किया जावे।

4– प्रार्थनापत्र के संबंध में उभय पक्ष को सुना गया। प्रकरण से सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.06.2026 को प्रार्थीया ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की थी

दिनांक 13.06.2026 को सुबह 10 बजे नरेन्द्र पुत्र कमलेश हमारे घर आया उस समय मेरे घ ार पर मेरे पति सुरेश व मेरा लडका देवेन्द्र था तब नरेन्द्र ने मुझे कहा कि भाभी आप काम का कह रहे थे चलो मैं आपको काम दिखाकर लाता हूं। तब वह नरेन्द्र के साथ उसकी मोटरसाईकिल पर बैंठकर मावल ग्रोथ सेन्टर में गये। नरेन्द्र मोटरसाईकिल को घुमाता हुआ मावल की तरफ सुनसान जगह पर ले गया जहां पर उसने परिवादिया को डराकर उसके साथ जबरदस्ती खोटा काम किया। फिर नरेन्द्र अपनी मोटरसाईकिल लेकर वहां से भाग गया और परिवादिया पैदल पैदल घर आई..... वगैरा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आबूरोड रीको में प्रकरण संख्या 179/2026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया, मामले का अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

5— रिकॉर्ड के अवलोकन से यह प्रकट है कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.06.2026 को गिरफतार किया गया तब से वह निरन्तर अभिरक्षा में है। मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व सजायाबी का कोई आपराधिक रेकर्ड नहीं है।

6— प्रकरण के गुणावगुण पर अन्तिम व्यक्त किये बिना इस तथ्य को देखते हुए कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादिया के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार करने से संबंधित अपराध प्रमाणित माना है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों एवं आरोपित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

7— अतः प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार, निवासी चंद्रावती, पुलिस थाना आबूरोड रीको आबूरोड, जिला सिरोही की ओर से पुलिस थाना आबूरोड रीको के सी आर नंबर 179/2026, अपराध अंतर्गत धारा 61(1) बीएनएस के मामले में धारा 483 बीएनएसएस के तहत नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत प्रथम प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिवक्ता अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर सैशन न्यायाधीश,प्रथम
आबूरोड जिला सिरोही राज.

8— आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर सैशन न्यायाधीश,प्रथम
आबूरोड जिला सिरोही राज.